


राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- 129

दिनांक :- 4-7-2013


--:: कार्यालय आदेश ::--

संचालक मण्डल की 218वीं बैठक दिनांक 24.04.13 के बिन्दु संख्या 218.80 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में पूर्व जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 579 दिनांक 28.03.13 की पुष्टि की जाती है।

  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव/वि.स. एवं मु.ले., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक (विधि)/अति. मुख्य नगर नियोजक/ए.सी.आर./जन समर्क अधिकारी।
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को लेख है कि मण्डल की वेबसाइट पर मैं उक्त आदेश अंकित करें।
9. लेखाधिकारी, (भुगतान), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. सम्बन्धित श्री ....., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. कार्मिक प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
वित्तीय सलाहकार एवं  
मुख्य लेखाधिकारी